


**-: अल्पकालीन सामान्य निविदां सूचना :-**

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020, प्रस्तर 3 के स्तम्भ-2 में वर्णित जिला पंचायतों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि से सामान्य टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक: 15.01.2022 की अपरान्ह 1:30 बजे तक निविदां आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदां दिनांक: 15.01.2022 को अपरान्ह 3:00 बजे अपर मुख्य अधिकारी कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। इच्छुक ठेकेदार निविदां प्रपत्र दिनांक: 15.01.2022 को अपरान्ह 11:30 बजे तक निर्धारित टेण्डर शुल्क जमा कराकर कार्यालय जिला पंचायत, बागपत से कय कर सकता है। विदित रहे कि निविदांदाता द्वारा प्रत्येक निविदां प्रपत्र के साथ रू0 100 के स्टाम्प पर शपथ-पत्र व 2 प्रतिशत धरांहर धनराशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बागपत के पदनाम पर प्रथक-प्रथक कार्य की प्रथक-प्रथक रूप से बंधक कराकर जिला पंचायत, बागपत के टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी। निविदां स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा तथा सक्षम अधिकारी ही कार्य में घटोत्तरी/बढोत्तरी, संशोधन अथवा कार्य समाप्त कर सकते हैं। कार्यो का विवरण कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस एवं जनपद की वेबसाईट <http://baghpat.nic.in> पर देखा जा सकता है।

**नोट:-**जिला पंचायत, बागपत द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं में जिला पंचायतों/राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार से न्यूनतम निविदां प्राप्त होने की दशा में वह एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से जिला पंचायत, बागपत में रजिस्ट्रीकृत हेतु निर्धारित रजिस्ट्रीकरण, शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/ई-बैंकिंग के माध्यम से जिलानिधि के खाता संख्या: 21090368754 इंडियन बैंक, IFSC-IDIB000B541 में जमा करायेगा। तदोपरान्त प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय में उपस्थित होकर निविदां की शर्तों के अनुसार जमानत आदि की धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध गठित करायेगा।


  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बागपत।

कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

पत्रांक:- 1299 / निर्माण अनुभाग / जि0पं0, बागपत / 2021-22, दिनांक:- 5/1/2022

**प्रतिलिपि:-**

1. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला व जनवाणी, बागपत को इस आशय से प्रेषित कि वें उक्त निविदां सूचना को अपने आगामी अंक के समाचार पत्र में कम से कम स्थान में शासकीय दरों पर केवल एक बार प्रकाशित कराकर बिल, भुगतान हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का कराने का कष्ट करें।
2. मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत, बागपत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी महोदय, जिला पंचायत, बागपत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, बागपत को इस आशय के साथ प्रेषित कि वें निविदां खोले जाने हेतु नियत दिनांक व समय पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
5. लेखाकार, जिला पंचायत, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वें उक्त निविदां सूचना को जनपद की वेबसाईट <http://baghpat.nic.in> पर प्रकाशित कराने का कष्ट करे।
7. रिकोर्ड कीपर, जिला पंचायत, बागपत को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बागपत।

—: सामान्य निविदा सूची :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लम्बाई (मी० में)	प्राक्कलन की धनराशि (लाख ₹० में)	धरोहर की धनराशि (₹० में)	निविदा शुल्क+जी.एस.टी. की धनराशि (₹० में)			समय अवधि
					निविदा शुल्क	18% GST	कुल योग	
1	2 पंचम राज्य वित्त आयोग वर्ष 2021-22 की धनराशि के अन्तर्गत	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम बामनौली के नांगल पुल पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से साहबसिंह के खेत से नांगल पुल मार्ग पर खडण्जा निर्माण कार्य	385	5.91	11820	1500	270	1770	2 माह
2	ग्राम ओढापुर के चौबली मार्ग से इब्राहिम के खेत से खडण्जा निर्माण कार्य	330	5.00	10000	1500	270	1770	2 माह
3	ग्राम ओढापुर के कोताना मार्ग से कयूम के मकान तक खडण्ड निर्माण कार्य	140	2.10	4200	1000	180	1180	1 माह
	योग-		13.01	26020	4000	720	4720	
	पन्द्रहवा वित्त आयोग (टाईड ग्राण्ट) वर्ष 2020-21 की धनराशि के अन्तर्गत							
1	ग्राम बेगमाबाद गढी में रहतना मार्ग के किनारे शमशान वाले तालाब तक नाली निर्माण कार्य।	240	6.19	12380	1500	270	1770	2 माह
	योग-		6.19	12380	1500	270	1770	
	महायोग-		19.20	38400	5500	990	6490	

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, बागपत।